

फायदा बन्द होना चाहिए, लेकिन जो जायज मुनाफा है, वह उन को मिलना चाहिए इसी का निर्णय करने के लिए हम ने नेशनल कान्सिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च की सिफारिश को माना है, इस में कोई मनमानी नहीं है और इन की पूरी जांच करने का काम इण्डस्ट्रियल कौन्सिल ऑफ इन्वैस्टिगेशन ब्यूरो को देना चाहते हैं।

मैं इस बात को भी मानता हूँ कि और मैंने इस का जिक्र भी किया था कि पेट्रोल पम्पस की जो वितरण नीति है इस में बहुत से मोनोपोलिस्ट्स भी हैं, बड़े बड़े शहरों में अलग अलग नाम से पम्प ले लेते हैं, एक-एक के पास दन-दम और बोस-बोस पम्प भी होंगे—इस की जानकारी हमारे पास है और हम इस को भी तकसीम करना चाहते हैं।

जहाँ तक नए पेट्रोल पम्पस की वितरण नीति का सम्बन्ध है—इसके बारे में सरकार का एक निश्चित विधान है—प्राई० ओ० सी० के पेट्रोल पम्पस जो शहीद हुए हैं उन की फैमिली को दिए जाने हैं, जो लड़ाई में जखमी हुए हैं उन को दिए जाते हैं और अभी अभी प्राइम मिनिस्टर साइबा के हुकम से यह निर्णय हुआ है कि 25 फीसदी शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्व किए जाने चाहिए। इस लिए अब इसी के मुताबिक काम होगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : अभी तक आप ने उन को दिए हैं या नहीं ?

श्री देवकान्त बरध्वा : अभी हुकम हुआ है। इस के पहले शहीदों की फैमिली को,

लड़ाई में जखमी हुए लोगों को दिए जाते थे। हम ने दूसरों को नहीं दिया है, जिन को फौज के रिहैबिलिटेशन और सेंट्रलमेंट विभाग से रिकर्मण्ड किया, उन को दिया है।

श्री चन्नु लाल चन्द्राकर : क्या मंत्रों सहित-दय निजी कम्पनियों को भी इसी तरह का काम करने के लिए अनुरोध करेंगे ?

श्री देवकान्त बरध्वा : जरूर, उन से बात कर लेंगे।

12.50 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

NON-INTIMATION TO THE SPEAKER OF ARREST AND RELEASE OF SHRI SHIV SHANKER PRASAD YADAV, M. P.

MR. SPEAKER: Shri Shiv Shankar Prasad Yadav in his letter dated the 2nd November, 1973, to me had complained that the intimation regarding his arrest on the 18th October, 1973, at Khagaria was not sent to me by the authorities concerned. This matter was also sought to be raised by Shri Madhu Limaye in the House on the 15th and 20th November, 1973.

2. The Ministry of Home Affairs, who were asked under my direction to furnish a factual note in the matter, have now forwarded a copy of the telegram dated the 18th October, 1973 from the Sub-Divisional Officer, Khagaria addressed to me. The telegram was in Hindi. Its English translation is as follows:

“Shri Shiv Shankar Prasad Yadav, Member, Lok Sabha was arrested on the 18th October, 1973, under Section 151, Criminal Procedure Code, in connection with Gherao and was released in the evening.”

[Mr. Speaker]

This telegram is dated the same day on which he was arrested.

3. The Ministry of Home Affairs have also forwarded a copy of letter dated the 16th November, 1973, received by them from the Government of Bihar giving particulars of the despatch of the above telegram on the 18th October, 1973.

4. As the above original telegram was not received by me, necessary inquiries are being made from the postal authorities.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): We are not sure whether they had sent it.

MR. SPEAKER: They had sent the telegram all right. We have got the official copy of it. We must know what happened on the way.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : (ग्वालियर) : क्या आपको भरोसा है कि एम० डी० ग्रा० ने टेलीग्राम भेजा था ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आफिसियल कापी आई है ।

श्री मधु लिमये (बांका) : इस पर जांच कमेटी बैठेगी ।

अध्यक्ष महोदय : हर एक बात पर जांच कमेटी नहीं बैठाई जा सकती ।

श्री मधु लिमये : हम अन्नी बैठायेंगे ।

SHRI SEZHIYAN: It may be that the SDO might have sent the telegram to the Home Ministry.

MR. SPEAKER: It has been sent to us.

एक माननीय सदस्य : बरुआ साहब ने भी बैठाई है ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो तेल का मामला है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यहां तो मेम्बरों का तेल निकाला जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं कौन निकालता है । लेकिन यह अच्छी जगह है, बाहर जा कर तो गड़बड़ करते हैं ।

Their first duty is to the House when the House is sitting.

वे बाहर जाकर घेराव करते फिरते हैं । लेकिन कछवाय साहब को बाहर रखिये ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप तो बाहर जाने वालों को यहां बुला रहे हैं, फिर कछवाय साहब को बाहर जाने को क्यों कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने आज आते ही अपने वृजुर्गों के बारे में मवाल पूछ लिया ।

He is very much respectful to our ancestors also.

12.57 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ERRATUM TO NOTIFICATION UNDER FINANCE (No. 2) ACT, 1971 AND NOTIFICATIONS UNDER CENTRAL EXCISE RULES, 1944

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): I beg to lay on the Table—

- (1) A copy of Notification No. G.S.R. 1022 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 22nd September, 1973 containing erratum to Notification No. G.S.R. 1455 dated the 1st October, 1971, under section 51 of the Finance (No. 2) Act, 1971. [Placed in Library. See No. LT-5776/73].